



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार—249404

संख्या : 21 / 04 / प०चि० / गोपन—४ / 2023—२४

दिनांक : 10 अप्रैल, 2024

पशुचिकित्साधिकारी (ग्रेड—२) परीक्षा—2023

अभिलेख सत्यापन सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पशुचिकित्साधिकारी (ग्रेड—२) परीक्षा—2023 के सापेक्ष दिनांक: 05 अप्रैल, 2024 को निर्गत अभिलेख सत्यापन सूची को तकनीकी त्रुटि के कारण निरस्त करते हुए निम्नवत् संशोधित अभिलेख सत्यापन सूची निर्गत की जाती है—

200001	200002	200005	200009	200010	200011	200012	200013
200016	200017	200018	200020	200021	200023	200025	200026
200027	200028	200029	200030	200036	200042	200044	200045
200046	200049	200051	200052	200056	200058	200059	200060
200061	200062	200063	200064	200065	200067	200068	200070
200071	200073	200074	200075	200076	200079	200081	200082
200083	200084	200085	200086	200090	200094	200095	200096
200097	200099	200103	200104	200105	200106	200107	200110
200113	200114	200115	200116	200118	200121	200122	200125
200126	200127	200129	200130	200131	200134	200137	200139
200141	200142	200143	200145	200147	200148	200150	200152
200153	200154	200156	200157	200159	200161	200164	200166
200167	200168	200169	200174	200176	200177	200178	200179
200180	200181	200184	200185	200186	200187	200188	200189
200191	200192	200193	200195	200196	200197	200199	200200
200201	200205	200208	200209	200210	200215	200218	200219
200224	200228	200236	200243	200247	200249	200255	200260
200267	200269	200270	200298	200301	200302	200304	200309
200315	200325	200328	200342	200343	200345	200346	200350
200352	200354	200357	200363	200364	200366	200369	200370
200374	200380	200383	200387	200390	200393	200394	200397

कुल—168

नोट:- 1. उपरोक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान आनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावों के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने दावों के सापेक्ष सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में उनके दावों को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 23 अप्रैल, 2024 से परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश आयोग की वेबसाईट पर पृथक से प्रसारित किये जायेंगे।

2. अभिलेखों के सत्यापन में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन परिणाम प्रवीणता सूची के आधार पर घोषित किया जाएगा।

3. यह भी सूचित किया जाता है कि प्राप्तांक से सम्बन्धित विवरण अन्तिम चयन परिणाम घोषित किये जाने के साथ ही आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी इस संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी अनुरोध पत्र प्रेषित न करें।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव